अधिसूचना क्रमांक प,6(44)राज-6/2001/73 दिनांक 28.12.2001 का हिन्दी रूपान्तरण एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(44)राज-6/2001/72 जयपुर, दिनांक:- [illegible]

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 101 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 की उपधारा (2) के खण्ड (x iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमोंका नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 18 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के उप-नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित नया नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(4) ऐसे समस्त व्यक्तियों ने, जिन्हें भूमि 29.9.99 के पूर्व आवंटित की गई थी, आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत पर और दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र पर खेती नहीं की है और उनका आवंटन रद्द नहीं किया गया है, वे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पात्र होंगें, यदि वे पिछले तीन वर्षों से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहें हो और आवंटन के अन्य निबन्धन और शर्ते पूरी करते हो ।"।

राज्यपाल के आदेश से

(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय/ मा0 राजस्व मंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / राजस्व सचिव ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान 4. समस्त जिला कलेक्टर,राजस्थान ।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर । 5 जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुरको राजपत्र विशेषांक दिनांक:

क्रमशः.....2 पर

दिनांक में प्रकाशनार्थ ।

8. " राजविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. विधि संहिताकरण विभाग ।
11. आर.आर.टी.आई. अजमेर ।
12. समस्त शासन उप सचिव राजस्व विभाग ।
13. रक्षित पत्रावली ।

6(19)92

शासन उप सचिव